51

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2158-दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-4-2012 - पारित व्दारा नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 4 अ-5/2011-12

1- प्रभाकर सिंह पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह
2- दिवाकर सिंह पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह
दोनों ग्राम पटैहरा तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण
विरूद्ध
1- विजयबहादुर पुत्र स्व.महावीर सिंह
2- नोखेलाल सिंह पुत्र स्व. महावीर सिंह
दोनों ग्राम पटैहरा तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री कामता प्रसाद गुप्ता)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आदेश

(आज दिनांक 19 - 06 -2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 4 अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-4-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर को आवेदन देकर ग्राम पटेहरा की भूमि सर्वे कमांक 970/1 रकबा 1-096 हैक्टर के नक्शा तरमीम की मांग की। नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 4 अ-5/

2011-12 पंजीबद्ध किया । नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-4-12 पारित किया तथा ग्राम पटेहरा की भूमि सर्वे क्रमांक 970/1 रकबा 1-096 हैक्टर के अनावेदक के हित के भू भाग का नक्शा तरमीम कर दिया। नायव तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने लिखित बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस के साथ नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 4 अ-5/2011-12 का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि वादग्रस्त भूमि तीन पक्षकारों में विभाजित है जो वाणसागर नहर के लिये अधिग्रहीत है। पटवारी, आर.आई. ने चोरी चोरी उत्तरवादीगणों के पक्ष में 970/1 बिना सूचना दिये एंव सम्मन निकाले बिना नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 4 अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-4-12 को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदकगण की लेखी बहस, निगरानी मेमो में अंकित तथ्य तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा ने आदेश दिनांक 30-4-12 में इस प्रकार अंकित किया है :-

" आपत्तिकर्ता की आपत्ति की प्रति आवेदक अभिभाषक को प्रदाय की जाकर जवाव लिया गया। आवेदक व्दारा आपत्तिकर्ता के आपत्ति का खंडन करके अपने आवेदन पत्र का समर्थन किया है। उभय पक्ष के विद्वान अभि0 के तर्क श्रवण किये गये। "

जव नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण ने अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित रहकर पैरबी की है एंव बचाव प्रस्तुत किया है तथा नायव तहसीलदार ने दोनों पक्षों को विधिवत् सुना है, तब निगरानी न्यायालय में आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा यह लिखित तर्क में अभिकथन करना कि पटवारी, आर.आई. ने चोरी चोरी उत्तरवादीगणों के पक्ष में 970/1 बिना सूचना दिये एंव सम्मन निकाले

बिना नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जिसके कारण आवेदकगण को सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला है, आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क नायव तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होने से माने जाने योग्य नहीं है। जहां तक वाद विचारित भूमि के नक्शा तरमीम करने एंव भूमि जल सॅशाधन विभाग व्दारा नहर में लेने का प्रश्न है , आवेदकगण स्वयं् के हिस्से की भूमि का राजस्व निरीक्षक/हलका पटवारी के बजाय उनसे वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से नक्शा तरमीम कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा व्दारा नियम व प्रकिया अनुसार कार्यवाही कर प्रकरण कमांक 4 अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-4-12 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार, वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा व्दाराप्रकरण कमांक 4 अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-4-12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर